

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/विधि-06-02/2017/ राँची, दिनांक

-: आदेश :-

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770/वि. दिनांक 31.12.1981 की कंडिका 11 के अनुसार, जल संसाधन विभागान्तर्गत सेवानिवृत्त कनीय अभियंता श्री रामजीवन कुमार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ को एतत् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/आई.डी./ जन्म तिथि/तत्कालीन पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देय तिथि एवं प्रोन्नत पुन० वेतनमान	बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त औपबंधिक प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामजीवन कुमार J-5212/02.07.52/ लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो/ 05.02.79	05.02.1989 (1640-60-2600 -75-2900)	5564/27.08.90	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो प्रदत्त लाभ संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-
(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, प्रमंडल, बोकारो/श्री रामजीवन कुमार, से० नि० कनीय अभियंता, पिता-स्व० कान्ति प्रसाद कुमार, AT-रानी चन्द्रावती कोठी पो०+थाना-आदमपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

249

राँची, दिनांक :-

25-01-18

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
सरकार के अवर सचिव।